Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का एक अध्ययन

चंदा देवी[1], डॉ. निर्मला सिंह[2]

1. **शोधार्थिनी (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोध पर्यवेक्षक एवं प्रोफेसर (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** patelchanda019@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424784

सारांश

गुणवत्तापूर्ण ज़िंदगी के लिए क्लीन एनर्जी तक पहुँच ज़रूरी है, फिर भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोशनी, हीटिंग और खाना पकाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्लीन एनर्जी पाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि 2030 तक क्लीन और सस्ती एनर्जी तक यूनिवर्सल पहुँच के यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को पाने में प्रगति हुई है, फिर भी असमानताएँ बनी हुई हैं। सेहत और पर्यावरण के फ़ायदों के लिए ज़रूरी मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, लाखों लोगों के लिए अभी भी पहुँच से बाहर हैं, विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में। बिजली और क्लीन कुकिंग फ्यूल तक पहुँच के बीच तरक्की में यह अंतर मॉडर्न कुकिंग फ्यूल को अपनाने में रुकावट डालने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए टारगेटेड पॉलिसी की ज़रूरत महसूस कराता है। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉज़िट के एलपीजी कनेक्शन देना था। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा हो गया था। इसके बाद अवशेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ और पीएमयूवाई कनेक्शन देना था, जो जनवरी 2022 में पूरा हो गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 के समय के लिए पीएमयूवाई के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने को मंजूरी दी, जो जुलाई 2024 में ही पूरा हो चुका है। मार्च, 2025 तक, देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन सक्रिय थे। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 08 सितंबर, 2025 **स्वीकृत:** 10 अक्टूबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 04 **चित्र एवं ग्राफ:** 01 **स्रोत एवं संदर्भ:** 09

मुख्य शब्द: पीएमयूवाई, स्वच्छ ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला, बीपीएल परिवार।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: भारत के ग्रामीण घरों में खाना पकाने का साफ़ ईंधन मिलना एक बड़ी चुनौती है। यह कमी अधिकांश महिलाओं और उनके बच्चों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि घरों में गंदे ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं के नुकसानदायक असर का सबसे ज़्यादा सामना उन्हें ही करना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों को खाना पकाने का साफ़ ईंधन एलपीजी देकर उनकी सेहत को सुरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सोशियो–इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस (एसईसीसी, 2011) में शामिल परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉज़िट के एलपीजी कनेक्शन देना है, जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे है और जो प्रायः संसाधनों कमी से जूझ रही हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी–2011) में देश के 24.49 करोड़ (17.97 करोड़ ग्रामीण और 6.52 करोड़ शहरी) घर शामिल हैं। इनमें से 10.31 करोड़ परिवार अर्थात 8.72 करोड़ ग्रामीण (48.53 प्रतिशत) और 1.59 करोड़ शहरी (24.39 प्रतिशत) परिवार मौलिक संसाधनों की कम से कम एक

कमी से जूझ रहे थे, जिनकी पहचान भारत सरकार ने पीएमयूवाई के तहत पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए की है। हालांकि, सरकार ने पांच करोड़ बिना डिपॉज़िट वाले एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य (फरवरी 2018) बदलकर आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया, ताकि एसईसीसी–2011 सूची से पहचाने गए बीपीएल परिवारों या ई–पीएमयूवाई योजना के तहत सात कैटेगरी में से किसी एक के तहत आने वाले बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके, जिसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाना था।

अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से ग्रामीण महिलाओं से राहत दिलाने और ग्रामीण व ज़रूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में किस हद तक सफल रही है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1) पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचान का अध्ययन करना।
2) पीएमयूवाई के तहत वित्तीय सहायता का अध्ययन करना।
3) पीएमयूवाई का लक्ष्य और उपलब्धि का अध्ययन करना।
4) पीएमयूवाई की प्रगति का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकताः मई 2016 से संचालित होने के समय से यह भारत सरकार की चुनिंदा फ़्लैगशिप योजनाओं में शामिल रही है और पिछले 10 वर्षों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुकी है। इस दौरान योजना की सार्थकता को कायम रखने और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसलिए योजना के क्रियान्वयन की 10 वर्षों की समयावधि में योजना की प्रगति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

शोध प्रविधिः यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए विभिन्न स्तरों पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अध्ययन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसके लिए सरकारी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पीएमएफबीवाई के मामले में वर्ष 2015–16 से 2024–25 की अवधि के लिए यानि 6 वर्षों के आंकड़ों को एकत्र किया गया है ।भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) स्थिति सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों का प्रयोग किया गया है।

पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचानः पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन एसईसीसी–2011 की सूची में आने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पर प्रदान किया जाता है।

सारणी-1: पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचान के मानक

ग्रामीण परिवार	शहरी परिवार
केवल एक कमरे, कच्ची दीवारों और खपरैल / कच्ची छत वाले घर	केवल एक कमरे, कच्ची दीवारों और खपरैल / कच्ची छत वाले घर
16 से 59 साल के बीच के कोई भी वयस्क सदस्य नहीं	18 से 59 साल के बीच का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं
महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16-59 साल के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है	महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 18 से 59 साल के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
ऐसे परिवार जिनमें एक विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम सदस्य नहीं है	ऐसे घर जिनमें किसी भी तरह का दिव्यांग सदस्य हो और 18 से 59 साल के बीच का कोई भी सक्षम वयस्क सदस्य न हो
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार
ऐसे घर जिनमें 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई साक्षर वयस्क न हो	ऐसे घर जिनमें 21 साल से ज़्यादा उम्र का कोई साक्षर वयस्क न हो
ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं	ऐसे घर जिनमें किसी भी तरह का क्रॉनिक बीमार सदस्य हो और 18 से 59 साल के बीच का कोई भी एडल्ट सदस्य न हो अथवा घर की आय का मुख्य साधन अनियमित मजदूरी, असंगठित रोज़गार है।

एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, पात्र बीपीएल परिवार के लाभार्थी को निर्धारित फॉर्म भरकर निकटतम एलपीजी वितरक को आवेदन करना होता है और केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय पते का प्रमाण, आधार संख्या और अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है, तो

एलपीजी वितरक उसे प्राप्त करने में सहायता करेगा। परिवार में सभी वयस्क सदस्यों (18 वर्ष से ऊपर) की आधार संख्या प्रदान करना भी आवश्यक है। यदि उसके परिवार के वयस्क सदस्यों के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे एक वचन देना होगा कि आधार संख्याओं का पूरा सेट (सभी वयस्क परिवार के सदस्यों का) छह महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा। उसे यह भी घोषणा प्रदान करनी होगी कि परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों में से किसी के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इस तरह पीएमयूवाई के लक्षित लाभार्थियों में बीपीएल परिवारों की वे महिलाएं हैं जो एसईसीसी–2011 में शामिल हैं और सारणीबद्ध कमियों में से कम से कम एक कमी से प्रभावित हैं।

पीएमयूवाई के तहत वित्तीय सहायता: योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर हर एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपए की रकम सरकार देती है। यह रकम एसईसीसी–2011 में शामिल बीपीएल परिवारों की उन वयस्क महिलाओं को एक बार की फाइनेंशियल मदद के तौर पर दी जाती है, जिनके घर में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (ओएमसी) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड योजना के लाभार्थियों को, अगर वे चाहें तो, खाना पकाने के चूल्हे और पहले रिफिल का खर्च उठाने के लिए लोन लेने का ऑप्शन देंगी। लोन की रकम की ईएमआई–ओएमसी लाभार्थियों को रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम से वसूल करेंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

सारणी-2: वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	सहायता का विवरण	राशि (₹)
1.	सिक्योरिटी डिपॉज़िट (14.2 Kg LPG सिलेंडर)	1250
2.	सिक्योरिटी डिपॉज़िट (प्रेशर रेगुलेटर)	150
3.	सुरक्षा नली	100
4.	घरेलू गैस कंज्यूमर कार्ड बुकलेट	25
5.	इंस्टॉलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज	75
A	भारत सरकार से कुल सहायता (1+2+3+4+5)	1600
6.	स्टोव की कीमत	990
7.	14.2 kg सिलेंडर के लिए रिफिल की कीमत	517
B	ओएमसी द्वारा ऑप्शनल लोन सुविधा (कुल जोड़ 6+7)	1507
C	ग्रैंड टोटल (A+B)	3107
D	सेंट्रल गवर्नमेंट से बजटीय मदद।	1600
E	ओएमसी द्वारा बेनिफिशियरी को फाइनेंस (या लोन)	1507

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, भारत सरकार

पीएमयूवाई का लक्ष्य और उपलब्धि: पीएमयूवाई योजना का लक्ष्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था, जिसे 7 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 8वां करोड़वां एलपीजी कनेक्शन सौंप कर हासिल कर लिया गया। उज्ज्वला 2.0: पीएमयूवाई स्कीम के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, जिसमें माइग्रेंट परिवारों को स्पेशल सुविधा दी गई। उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन का टारगेट दिसंबर 2022 में पूरा हो गया, जिससे स्कीम के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हो गए।

उज्ज्वला 2.0 के तहत तीन वित्तीय वर्षों (2023–24 से 2025–26) के लिए 75 लाख एलपीजी कनेक्शन का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, जो जुलाई 2024 में पूरा हो गया, इस तरह स्कीम के तहत कुल कनेक्शन 10.35 करोड़ हो गए। भारत सरकार ने पीएमयूवाई के तहत 25 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे कुल टारगेट 10.6 करोड़ कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन अभी जारी किए जा रहे हैं, जैसा कि सारणी–3 के विवरण से स्पष्ट है।

सारणी-3: लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण		
चरण/आवंटन	लक्ष्य (करोड़ में)	लक्ष्य प्राप्ति तिथि
पीएमयूवाई फेज़-I (शुरुआती)	**8.00**	सितंबर 2019
उज्ज्वला 2.0 (शुरुआती)	**1.00**	जनवरी 2022
उज्ज्वला 2.0 (विस्तार)	**0.60**	दिसंबर 2022
अतिरिक्त आवंटन (वित्त वर्ष 23-26)	**0.75**	जुलाई 2024
मौजूदा अतिरिक्त टारगेट	**0.25**	अभी जारी है
कुल जारी किए गए कनेक्शन	**10.33**	मार्च 2025 तक
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, भारत सरकार		

पीएमयूवाई की प्रगतिः पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के निष्पादन में काफी प्रगति हुई है, जिससे ग्रामीण वंचित परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। योजना ने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, उनका समय बचाया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी, जो जुलाई 2024 के दौरान पहले ही हासिल कर लिया गया है। 01 मार्च, 2025 तक, भारत में सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या 32.94 करोड़ है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 10.33 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।

सारणी-4: एलपीजी की मार्केटिंग, उपभोक्ता और वितरण की प्रगति									एलपीजी सब्सिडी	
विवरण	एलपीजी सक्रिय घरेलू ग्राहक		पीएमयूवाई लाभार्थी		एलपीजी के वितरक		बॉटलिंग संयंत्र		एलपीजी	पीएमयूवाई
वर्ष	(लाख)	वृद्धि (%)	(लाख)	वृद्धि (%)	(संख्या)	वृद्धि (%)	(संख्या)	वृद्धि (%)	(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)
2015-16	1663	11.9	--	--	17916	12.5	188	0.5	22011	--
2016-17	1988	19.6	200	--	18786	4.9	189	0.5	12905	2999
2017-18	2243	12.8	356	77.7	20146	7.2	190	0.5	20905	2559
2018-19	2654	18.3	719	101.9	23737	17.8	192	1.1	31539	5670
2019-20	2787	5.0	802	11.5	24670	3.9	196	2.1	22726	1446
2020-21	2895	3.9	800	-0.2	25083	1.7	200	2.0	3658	76
2021-22	3053	5.5	899	12.2	25269	0.7	202	1.0	242	1569
2022-23	3140	2.9	959	6.6	25386	0.5	208	4.5	855	6110
2023-24	3242	3.2	1032	7.7	25481	0.4	210	1.0	1227	10217
2024-25	3297	1.7	1033	0.1	25566	0.3	211	0.5	366	13274
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार										

पिछले एक दशक में देश में एलपीजी की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सारणी–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में देश में 16 करोड़ 63 लाख एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 32 करोड़ 97 लाख हो गए। इस तरह, पिछले एक दशक में 16 करोड़ 34 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, एलपीजी के सक्रिय उपभोक्ताओं की वृद्धि दर में उत्तरोत्तर कमी दर्ज की गई है, विशेषकर वर्ष 2018–19 में यह वृद्धि दर 18.3 प्रतिशत थी, जो निरंतर घटते हुए वर्ष 2024–25 में 1.7 प्रतिशत रह गई है।

पिछले एक दशक में देश में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सारणी–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में देश में 2 करोड़ पीएमयूवाई एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 10 करोड़ 33 लाख हो गए। इस तरह, पिछले एक दशक में 8 करोड़ 33 लाख पीएमयूवाई उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की वृद्धि दर में काफी विचलन रहा है, जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की वृद्धि दर 77.7 प्रतिशत थी, जो 2018–19 में बढ़कर 101.9 प्रतिशत हो गई। इसके बाद इसमें कमी दर्ज की गई है और यह वृद्धि दर 2019–20 में 11.5 प्रतिशत

रह गई, 2020–21 में 0.2 प्रतिशत नकारात्मक हो गई, इसके बाद इसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है और यह वर्ष 2024–25 में 0.1 प्रतिशत रह गई है।

सारणी से स्पष्ट है कि देश में वर्ष 2015–16 में एलपीजी वितरकों की संख्या 17916 थी, जो एक दशक में 1. 43 गुना बढ़कर वर्ष 2024–25 में 25566 हो गए। इसी प्रकार देश में वर्ष 2015–16 में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या 188 थी, जो एक दशक में बढ़कर वर्ष 2024–25 में 211 हो गए। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियाँ लगातार नए एलपीजी वितरकों की स्थापना कर रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। पीएमयूवाई योजना के शुभारंभ के बाद से, तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 7959 वितरकों (01.04.2016 से 31.12.2024 के दौरान स्थापित) की स्थापना की है, जिनमें से 93 प्रतिशत यानी 7373 (1024 शहरी, 4974 ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी+आरजीजीएलवी)–1375) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 के 62 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग पूर्ण हो गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 वर्षों में एलपीजी सब्सिडी में काफी विचलन रहा है। वर्ष 2015–16 में देश में कुल एलपीजी सब्सिडी 22011 करोड़ रुपए थी, जो घटकर वर्ष 2024–25 में 13640 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि, देश में पीएमयूवाई के तहत प्रदत्त सब्सिडी में बहुत अधिक विचलन देखने को मिला है। यह सब्सिडी वर्ष 2016–17 में 2999 करोड़ रुपए थी, जो 2017–18 में 2559 करोड़ रुपए, 2018–19 में 5670 करोड़ रुपए, 2019–20 में 1446 करोड़ रुपए, 2020–21 में केवल 76 करोड़ रुपए, 2021–22 में1569 करोड़ रुपए, 2022–23 में 6110 करोड़ रुपए, 2023–24 में 10217 करोड़ रुपए, 2024–25 में 13274 करोड़ रुपए हो गई। स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदत्त सब्सिडी में बहुत अधिक विचलन रहा है।

पिछले एक दशक में देश में गैर–पीएमयूवाई उपभोक्ताओं और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जैसाकि ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में देश में 17.88 करोड़ गैर–पीएमयूवाई एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 22.64 करोड़ हो गए। इसी तरह, पिछले एक दशक में 2 करोड़ पीएमयूवाई उपभोक्ता बढ़कर वर्ष 2024–25 में 10.33 करोड़ हो गए। स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की प्रगति काफी प्रगतिशील रही है।

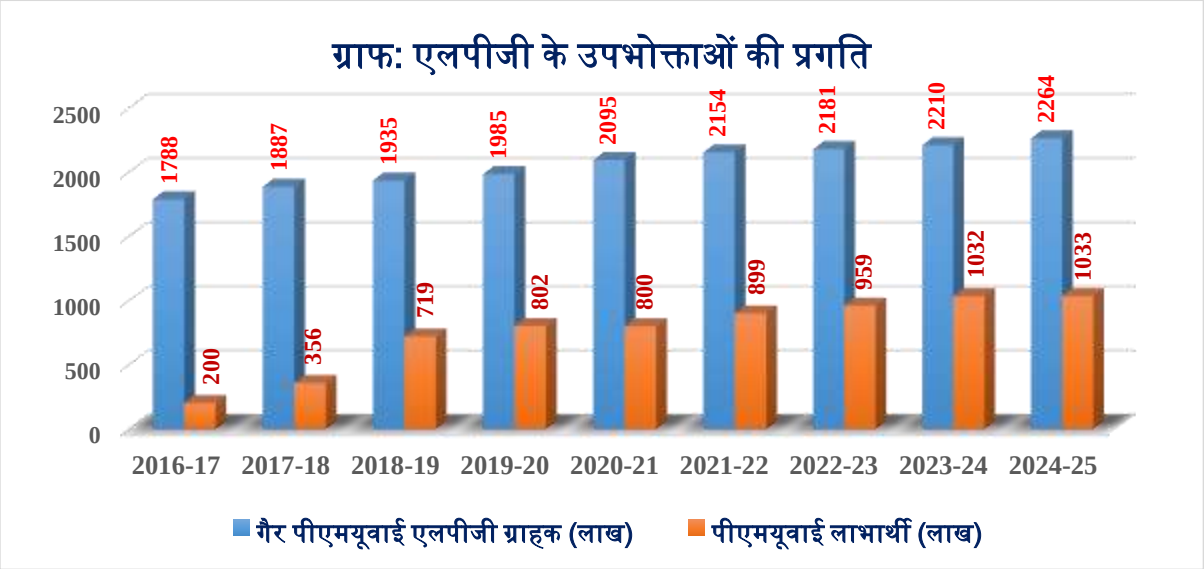

भारत घरेलू खपत का लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत से जुड़ी होती है। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक) में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से फरवरी 2025 में 629 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत में 44 प्रतिशत की कमी आई (अगस्त 2023 में 903 रुपये से फरवरी 2025 में 503 रुपये तक)।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.01 (वित्त वर्ष 2019–20) से बढ़कर 3.68 (वित्त वर्ष 2021–22), वित्त वर्ष 2023–24 में 3.95 और वित्त वर्ष 2024–25 में 4.43 हो गई है।

देश भर में एलपीजी तक पहुंच में सुधार करने के लिए, पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने, कनेक्शनों को नामांकित करने और वितरित करने के लिए मेला/शिविर आयोजित करने, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन और बैंक खाते खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि, 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, पता और राशन कार्ड आदि से जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति काफी तीव्र हुई है।

सुझाव एवं अनुशंसाएं: योजना के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझावों पर गौर किया जा सकता है।

1. लाभार्थियों को प्रतिमाह एक सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सिलेंडर की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए, सिलेंडर की खरीद की लागत और चूल्हे खरीदने के लिए किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए।
2. एलपीजी के उपयोग और पारंपरिक ईंधनों के प्रति संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लक्षित शैक्षिक अभियान चलाए जाएं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाए।
3. मौजूदा और नए लाभार्थी के परिवार के सभी एडल्ट सदस्यों के आधार नंबर सिस्टम में डाले जाने चाहिए ताकि डी–डुप्लीकेशन की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर में सही इनपुट कंट्रोल, डेटा वैलिडेशन और ज़रूरी फील्ड इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि जो लाभार्थी अयोग्य हैं उन्हें एलपीजी कनेक्शन जारी करने से रोका जा सके;
4. पीएमयूवाई लाभार्थी की सही जानकारी इकट्ठा करने और उनकी असलियत को ऑथेंटिकेट करने के दोहरे फायदे पाने के लिए ई–केवाईसी शुरू करने की ज़रूरत है। नाबालिग लाभार्थी को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन, अगर परिवार पीएमयूवाई के तहत एलिजिबल पाया जाता है, तो परिवार के एडल्ट सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
5. पीएमयूवाई लाभार्थी द्वारा एलपीजी का सुरक्षित इस्तेमाल पक्का करने के लिए बड़े पैमाने पर सेफ्टी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। रेगुलर इंस्पेक्शन न होने पर होने वाले रिस्क से बचने के लिए ज़रूरी इंस्पेक्शन के खर्च पर सब्सिडी देने का ऑप्शन किया जा सकता है।
6. चूंकि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का टारगेट काफी हद तक पूरा हो गया है, इसलिए शून्य या कम खपत वाली कैटेगरी के पीएमयूवाई लाभार्थियों को लगातार इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही रिफिल की ज़्यादा खपत के मामलों का रेगुलर रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि दूसरी जगह इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।
7. महिलाओं की सेहत में सुधार और घरेलू एयर पॉल्यूशन में कमी जैसे मापने लायक फायदों के मामले में नतीजों का आकलन करने के लिए एक रोडमैप बनाया जा सकता है। योजना के प्रभावी आकलन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जा सकता है।
8. ऊर्जा नीति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की श्रम–बाजार की गतिशीलता से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले। सब्सिडी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आय–आधारित मूल्य निर्धारण को लागू किया जाए, ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके।
9. योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, जिससे धोखाधड़ी और कालाबाजारी कम हो सके। आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाने के लिए योजना के तहत अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष: उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की प्रगति के तहत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, जिससे 10.33 करोड़ कनेक्शन मार्च 2025 तक पूरे हो

गए, और 2025–26 के वित्तीय वर्ष में 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कुल कनेक्शन बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएंगे। यह योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस प्रदान करती है, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करती है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत में आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर परिवारों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में लाखों महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन प्रदान करके योजना ने महिला सशक्तिकरण और सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान, जागरूकता और पहुंच, रिफिल की सामर्थ्य और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता जैसी चुनौतियों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। लाभार्थी डेटा को अपडेट करने, जागरूकता अभियान चलाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने जैसे उपायो को लागू करके सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पीएमयूवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना का दायरा बढ़ाने और स्वच्छ खाना बनाने की प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के चल रहे प्रयासों से महिलाओं और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव अधिक बढ़ेगा।

कुल मिलाकर यह देश के गरीब परिवारों को लाभांवित करने और ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करने में बेहतर योजना सिद्ध हो रही है। योजना ने पारंपरिक ईंधनों (जैसे लकड़ी, कोयला) पर निर्भरता को कम करके, घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम किया है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह महिला लाभार्थियों के नाम पर कनेक्शन प्रदान करके, महिलाओं की स्थिति और घर में उनके अधिकार को मजबूत करती है। बायोमास और प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता कम करके, यह पर्यावरणीय स्थिरता और वन संरक्षण को बढ़ावा देती है। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन का विकल्प प्रदान करने से वे आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं। यह योजना लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर और स्थापना शुल्क शामिल है। इसलिए उपर्युक्त सुझावों को अपना कर योजना के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2019)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संघ सरकार (वाणिज्यिक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट–14 वर्ष 2019, पृष्ठ 1–57।
2. स्वैन, एस.एस., मिश्रा, पी. (2020)। क्लीनर कुकिंग एनर्जी अपनाने के कारणः भारत के ग्रामीण ओडिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अनुभव। जे. क्लीन. प्रोड. 248, 119223.
3. शर्मा, एस., मोरेनहाउट, टी., अकलिन, एम., बजाज, के. (2021)। भारत में एलपीजी सब्सिडी को कैसे टारगेट करें. टेक्निकल रिपोर्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
4. व्यास एस., गुप्ता ए., खालिद एन (2021)। ग्रामीण उत्तर भारत में सरकारी दखल के बाद जेंडर और एलपीजी का इस्तेमाल। वर्ल्ड डेवलप., 148 (2021)।
5. कुमार, धर्मेन्द्र (2023)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन और चुनौतियाँः एक अवलोकन। जर्नल ऑफ़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च, खंड–10, अंक–9, सितम्बर 2023, पृष्ठ 477–482।
6. सु क्यू., आज़म एम. (2023)। क्या एलपीजी मिलने से महिलाओं का घरेलू बोझ कम होता है? एविडेंस फ्रॉम इंडिया । एनर्जी इकॉन., 119 (2023)।
7. ए., घोष, के., सिंह, आर.के. (2024)। भारत के ग्रामीण घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का असेसमेंटः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)। एनर्जी सस्टेन. डेवलप. 81, 101492.
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (2025)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना https://www.pmuy.gov.in/
9. विश्व बैंक (29 अप्रैल, 2021)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)। https://datacatalog.worldbank.org/pradhan-mantri-ujjwala-yojana-pmuy

*****

आलेख उद्धरित करें :	देवी, चंदा एवं सिंह, निर्मला (2026)। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का एक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर, 2025, पृष्ठ 13–19।